राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 4120/2005/उदयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ए, उदयपुर. .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स नवरंग पेंट्स एण्ड हार्डवेयर स्टोर, उदयपुर .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री पंकज घीया, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26/5/2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–अ, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 50/आरएसटी/2005–2006 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.7.2005 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश **दिनांक 11.3.2005** के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2002–03 का कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 29(4) के तहत पारित करते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा पण्यावर्त कर से मुक्ति हेतु विकल्प आवेदन पेश किया गया, किन्तु द्वितीय किश्त जमा नहीं कराने के कारण, पण्यावर्त कर रूपये 18,647/– एवं सरचार्ज रूपये 2797/– कुल रूपये 21,444/– का आरोपण आदेश दिनांक 11.3.2005 से किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.7.2005 से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को, कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.7.2005 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 28(बी) के तहत पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक **17.7.2007** को पारित किया जा चुका है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के समर्थन में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 17.7.2007 की प्रति भी प्रस्तुत की गयी। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा राजस्व की अपील निष्प्रभावी हो जाने से अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी के अभिकथन से सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावलियों एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित अपीलाधीन आदेश दिनांक **12.7.2005** की पालना में पारित किये गये पुनः कर निर्धारण आदेश **दिनांक 17.7.2007** का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 11.3.2005 के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.7.2005 में वर्णित निर्देशों की अनुपालना करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 28(बी) के तहत पुनः कर निर्धारण आदेश **दिनांक 17.7.2007** को पारित किया जा चुका है।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने के पश्चात अब प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण के न्यायिक दृष्टान्त **वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन बनाम मैसर्स विशाल ट्रेडिंग कम्पनी [(1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 61]** के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
26/5/17